राष्ट्र महिला

खंड 1, संख्या 150 | जनवरी 2012

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

आन्ध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा दिए गये इस वक्तव्य की सब ओर तीखी आलोचना हुई है कि आन्ध्र प्रदेश में बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं का कारण महिलाओं द्वारा छिछली और फैशनेबल पोशकें धारण किया जाना है। यहां तक कि केन्द्र सरकार ने भी इसकी आलोचना की है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने उनके वक्तव्य से असहमत होते हुए कहा कि कोई भी महिला या पुरुष अवसर, स्थान और संदर्भ के अनुसार पोशाक धारण करने का हकदार है। "राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा तथा विभिन्न महिला संगठनों ने भी यही भावना व्यक्त की है।

पुलिस महानिदेशक की टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव अनिता अग्निहोत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखा है कि वह आयोग को इस मामले के प्रश्नों और उत्तरों से संबंधित पूरा विवरण भेजें और इस पर आंध्र प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया भी बताएं।

इस वक्तव्य के दो दिन बाद ही पड़ोस के कर्नाटक राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्री सी.सी. पाटिल ने कहा : "मैं महिलाओं द्वारा उत्तेजक पहनावा धारण करने के विरुद्ध हूं....जो महिलाएं आइ.टी. कंपनियों और काल संटरों में रात को काम करती हैं उन्हें समझना चाहिए कि अपनी त्वचा कितनी ढकें।"

यह कहना कि अपने विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए स्वयं पीड़ित ही दोषी है, केवल हास्यापद ही नहीं है अपितु भारतीय समाज में प्रचलित पुरुष–प्रधान मानसिकता तथा महिला विरोधी भेदभाव का भी द्योतक है। महिलाओं के प्रति यौन भाव प्रकटन ही अपने आप में काफी बुरा है, और इस पर भी उन्हें दोष देना कि वे स्वयं इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके साथ घोर अन्याय करना है।

चर्चा में
महिलाओं के पहनावेपर नियमबद्धी

अपराध हो या नहीं, यह कहना कि महिलाओं का पहनावा पुरुषों को बलात्कार के लिए प्रेरित करता है बहुत ही घिनौना तर्क है। कोई भी व्यक्ति विशेषकर एक पुलिस अधिकारी, इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता। क्या इसका यह अर्थ है कि बुर्का और सलवार–कमीज पहनने वाली महिलाएं बलात्कारियों से सुरक्षित हैं ?और 'उत्तेजक' की परिभाषा कौन करेगा ? क्या पश्चिमी पहनावे वाली लड़की जीन पहनने वाली लड़की से अधिक सुरक्षित हैं ?यदि स्कर्ट पहनना, जैसे कि एयरलाइंस में, किसी महिला की नौकरी के लिए अनिवार्य हो तो ?

वास्तविकता यह है कि बलात्कार और महिलाएं क्या पहनती हैं, इसके बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है । यदि ऐसा होता तो, जैसा कि एक पत्रकार ने अपने स्तंभ में लिखा है, निम्न घटनाओं को कैसे प्रमणित किया जा सकता है : "चेन्नई में एक महिला के पुरुष मित्र द्वारा उसकी दस–वर्षीय पुत्री का बलात्कार किया जाना, दिल्ली में एक नर्स की आंखें निकाल कर उसका बलात्कार करना, आन्ध्र के समुद्रतटीय क्षेत्र में एक 11 वर्षीय लड़की का सामूहिक बलात्कार करना, मैसूर में एक 6 वर्ष की लड़की का एक भरोसे वाले पड़ोसी द्वारा बलात्कार कर उसकी हत्या कर देना, पारिवारिक कार्य से बाहर निकली एक महिला का मुम्बई में अपहरण करके एक ओटो–रिक्शा में उसका बलात्कार करना। केवल उलटे दिमाग वाला व्यक्ति ही ऐसी बात सोच सकता है कि इन महिलाओं और बच्चियों के पहनावे के कारण उन पर ऐसे घृणित अपराध किए गये।"

वास्तव में, पहनावे और अपराध का कोई पारस्परिक संबंध नहीं है । नैतिक नसीहत देने के बजाय, पुलिस को चाहिए कि यह बुराई बुराई दूर करने के लिए वह अपराध स्थलों एवं निर्जन स्थानों की पहचान करे, स्कूलों कालिजों और भीड़भाड़ वाले इलाकों के पास गश्त लगाए, पुलिस बीट और वाच एंड वार्ड का प्रबंध करे, समुदाय और पुलिस के बीच भागीदारी विकसित करे और महिलाओं के लिए शहरों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करे।

साहस का प्रतीक

होटल प्रबंधन में ग्रेजुएट 22 वर्षीय आकांक्षा जब एक फिटनेस सेंटर से लौटते हुए मोबाइल पर अपनी मां से बात कर रही थी तो लगभग 20 वर्ष का एक युवक उसका मोबाईल फोन छीन कर भागा। आकांशा ने भाग कर उसका पीछा किया और उसका कालर पीछे से पकड़ कर खींच लिया और सहायता के लिए शोर मचाया। गार्ड ने यह देखा और पीसी आर को फोन कर दिया। मिनटों में पुलिस आ गयी और उस झपटमार के पकड़ लिया।

आकांक्षा के साहस और बहादुरी से प्रभावित होकर दिल्ली पुलिस ने उसके लिए 1000 रु० नकद तथा प्रशंसा–पत्र की घोषणा की है।

आकांक्षा ने कहा कि "यद्यपि मेरे माता–पिता ने मुझे सावधान किया था कि समाज–विरोधी तत्वों से पंगा न ले, फिर भी में ऐसे तत्वों को उनके दुष्कर्म के लिए सबक सिखाने से नहीं डरती।" वास्तव में, उसकी बहादुरी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं के लिए एक मिसाल है।

अध्यक्षा का कोलकता का दौरा

10 और 11 दिसम्बर को कोलकता में वहा के 'आसरा' नामक सामाजिक संगठन ने "महिला सशक्तिकरण राष्ट्र का सशक्तिकरण है" विषय पर एक सेमिनार तथा फोटो प्रदर्शिनी का आयोजन किया।

कार्यक्रम 'आसरा' के निदेशक श्री मुमताज शमसी के स्वागत भाषण से प्रारम्भ हुआ।

तत्पश्चात, 'आसरा' ने तीन उपलब्धिकर्ताओं– नामतः श्रीमती तलत महमूद, कायनात परवीन और कुमारी रिचा शर्मा को बधाई दी जिन्होंने क्रमशः साइबर अपराध, शिक्षा तथा तैराकी के क्षेत्रों में योगदान दिया है।

सुश्री ममता शर्मा (दायें से द्वितीय) अन्य भागीदारों के साथ

सेमिनार का उद्घाटन करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा ने कहा कि "उच्चतर शिक्षा के माध्यम से सभी कार्य–क्षेत्रों में महिलाओं की प्रतिष्ठा और स्थिति में वृद्धि की जा सकती है। महिलाएं यदि शिक्षित हों तो वे राजनीति तथा प्रबंधन में भाग ले सकती हैं। शिक्षा में महिलाओं को बेहतर माताएं बनने तथा एक बेहतर पारिवारिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष तैयार करने में सहायता मिलती है। वे परिवार की आय बढ़ाने में भी योगदान कर सकती हैं। इससे उनकी पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ होती है और परिवार संबंधी मामलों में उनकी निर्णयात्मक भूमिका का निर्माण होता है । यह समानता एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सुश्री ममता शर्मा श्रोताओं को संबोधित करते हुए

कोलकता में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति द्वारा महिला सशक्तिकरण पर एक और सेमिनार आयोजित किया गया।

इस अवसर पर बोलते हुए, आयोग की अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री सुश्री ममता बनर्जी का उदाहरण देते हुए कहा कि सुश्री बनर्जी ने अपने जीवन में न तो कभी हार मानी और न ही किसी गलत कार्य को स्वीकृति दी। महिलाओं को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि "हमारे देश में महिला सशक्तिकरण शहरों तक ही सीमित है, गांवों में महिलाएं अब भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि महिलाओं के लिए सरकार द्वार बनाई गयी योजनाओं से वे अनभिज्ञ हैं।"

सुश्री शर्मा ने आगे कहा कि शहरों में स्थिति यह है कि आसान पैसा कमाने की दौड़ में लगी महिलाओं का शोषण किया जाता है । अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति जैसे संगठनों को महिलाओं को संगत कानूनों तथा उनके अधिकारों से अवगत कराना चाहिए। मात्र कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, गैर सरकारी संगठनों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को उनके हितकारी कानूनों से अवगत कराना चाहिए । उन्होंने अखिल भारतीय मारवाड़ी समाज द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य की प्रंशसा करते हुए कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि देश भर की महिलाओं को नारी भ्रूणहत्या दहेज अभिशाप आदि का प्रतिरोध करने और घरेलू हिंसा, मान हत्या तथा डायन प्रथा जैसी बुराइयों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रशिक्षित किया जाये।

सुश्री ममता शर्मा कुछ अपाहिज बच्चों के साथ

विधान परिषद की सदस्य डा० शशि पंजा ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं का शोषण होता है, परन्तु कुछ सीमा तक इसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार हैं क्योंकि वे कुछ ज्यादा ही दब्बू होती हैं और अपने प्रति होने वाले अन्याय का विरोध नहीं करती।

अखिल मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्षा सुश्री अलका बांगुर ने अपने भाषण में कहा कि समिति महिलाओं का सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए कठिबद्ध है। समिति ने अपाहिज बच्चों के लिए कार्यरत संगठन 'आशा'' को 1 लाख रु०का चैक भी प्रदान किया।

डायन प्रथा पर राष्ट्रीय सम्मेलन

"महिलाओं को डायन करार देना – समस्याएं और निदान विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा" प्रायोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रांची में झारखंड महिला आयोग ने किया।

सुश्री ममता शर्मा ज्योति प्रज्वलित करते हुए । उनके बांये सुश्री हेमलता एस० मोहन

दिन भर का विचार–विमर्श इस समस्या की उत्पत्ति, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक कलंक, कानूनी पहलू और आगे का मार्ग जैसे मुद्दो पर केन्द्रित रहा ।

उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए, झारखंड महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री हेमलता एस० मोहन ने कहा कि मानव तस्करी को रोकने, घरेलू हिंसा को कम करने तथा डायन प्रथा के विरुद्ध कदम उठाने के लिए उनका आयोग कटिबद्ध है ।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा ने कहा कि डायन प्रतारणा एक सामाजिक मुद्दा है जिसे हल करने में पुलिस, मीडिया और आयोग को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए । उन्होंने कहा कि "डायन प्रतारणा की शिकार बहुधा वे महिलाएं होती हैं जो विधवा हो गयी हैं, बूढ़ी हैं अथवा असुरक्षित हैं । ऐसी महिलाओं की सम्पत्ति हड़पने की नीयत से और उनका यौन उत्पीड़न करने के लिए स्वार्थ–साधक व्यक्ति उन्हें डायन करार देकर उन पर प्रहार करते हैं । इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने का मुख्य उपाय महिलाओं को सम्पत्ति में बराबर का अधिकार देना, शिक्षित करना और राजनीति में भागीदारी देना है । ऐसी बुराइयों से महिलाओं को सशक्तिकृत करके ही लड़ा जा सकता है ।"

छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री विभा राव ने कहा कि डायन प्रथा पर जो कानून इस समय मौजूद हैं उनकी समीक्षा करके उन्हें अधिक कठोर बनाये जाने की आवश्यकता हैं ।

सम्मेलन में गैर सरकारी संगठनों, राज्य के विभिन्न पुलिस थानों की महिला इंस्पेक्टरों तथा अनेक सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया ।

"गैर-निवासी भारतीयों के वैवाहिक मसले" पर सेमिनार

अहमदाबाद में 29 दिसम्बर, 2011 को 'गुजरात राज्य गैर–निवासी गुजराती फाउन्डेशन' द्वारा "गैर–निवासी भारतीयों के वैवाहिक मसले" विषय पर एक सेमिनार का प्रायोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डा० चारु वलीखन्ना मुख्य अतिथि थीं । गुजरात चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित इस सेमिनार में 400 से अधिक भागीदार उपस्थित थे ।

डा० चारु वलीखन्ना ने "गैर–निवासी विवाहों में फंसी महिलाओं के लिए रास्ता" विषय पर एक प्रस्तुतीकरण किया । उन्होंने अपने भाषण में आपराधिक प्रक्रियाओं, उपलब्ध निदानों, परित्यक्त महिलाओं के लिए भारत सरकार की योजनाओं तथा बच्चों की हिरासत के पहलुओं पर प्रकाश डाला ।

डा० चारु वलीखन्ना, श्री जय नारायण व्यास, श्री महेन्द्रभाई पटेल सेमिनार में ।

उन्होंने सूचित किया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग को समन्वय अभिकरण के रूप में नियुक्त किया है और तदनुसार आयोग ने भारत तथा विदेशों से प्राप्त शिकायतों के निबटान के लिए 24 सितम्बर, 2009 को एक कक्ष स्थापित किया है ।

इस अवसर पर बोलने वाले अन्य वक्ता थे गुजरात के स्वास्थ्य, पर्यटन और परिवार कल्याण मंत्री श्री जय नारायण व्यास, गुजरात सरकार के मुख्य सचिव (एन आर आई तथा ए आर टी) श्री अरविन्द अग्रवाल, गुजरात चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसीडेंट श्री महेन्द्रभाई पटेल ने अपने संगठन के कार्यकलापों पर प्रकाश डाला ।

सदस्यों के दौरे

झारखंड राज्य महिला आयोग तथा रांची की मेयर सुश्री रमा द्वारा रांची में आयोजित एक विचार विमर्श बैठक में डा० चारु वलीखन्ना ने भाग लिया और झारखंड राज्य की महिला कार्यकर्त्ताओं से मिलीं। लोहारगढ़, रामगढ़, हज़ारीबाज और रांची से आयी कार्यकर्त्ताओं ने कहा कि उन्हें जिन मुद्दों से निबटना पड़ता है वे हैं महिलाओं के प्रति हिंसा, वन सम्पदा अधिकार, प्रवास, मानव तस्करी, विस्थापन, भूमि विवाद, शराबखोरी, सामाजिक उत्पीड़न, नारी भ्रूणहत्या आदि ।

डा० चारु वलीखन्ना ने कहा कि उद्योग तथा कृषि के बीच विवाद तो सदा ही बना रहेगा, किन्तु महिलाओं की भागीदारी जरूरी है और उन्हें अपनी पुनर्वास राशि का प्रयोग उचित रूप से करना चाहिए । उन्होंने एक महिला नीति बनाए जाने की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि कोई विषय जनजाति का है अथवा गैर–जनजाति का, इसे ध्यान में न रख कर सभी महिलाओं को मिल कर मुद्दे उठाने चाहिए ।

डा० चारु वलीखन्ना (दायें से द्वितीय) अन्य प्रतिनिधियों के साथ

बाद में, उन्होंने वर्ल्ड विजन इंडिया तथा झारखंड महिला आयोग द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया जिसमें गर्भ–पूर्व लिंग–निर्धारण निषेध अधिनियम के राज्य स्तरीय क्रियान्वयन पर चर्चा की गयी ।

इस परामर्श का उद्देश्य अधिनियम से संबंधित मार्गनिर्देश तैयार करना और अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करना था ।

महिलाओं को समान अधिकार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारी कटिबद्धता की पुनरोक्ति

वस्तुतः स्वतंत्र महिला बनने के लिए अपने अधिकारों को जानिए

घरेलू हिंसा

आगे से आप मार–पिटाई की शिकार होने वाली पत्नी नहीं रहेंगी। घरेलू हिंसा किसी जाति, धर्म या वर्ग में सीमित नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग तथा देश भर के विभिन्न महिला अधिकार समर्थक संगठनों के एक दशक के सतत प्रयास और मतैक्य निर्माण के बाद, 'महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम 2005' पारित किया गया। इसमें निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं को प्रभावी और प्रबल राहत दी गई है:

* संरक्षा आदेश
* निवास आदेश
* आर्थिक सहायता
* हिरासत आदेश
* मुआवजा आदेश

संरक्षा आदेश के उल्लंघन की सजा एक वर्ष तक का सामान्य अथवा कठोर कारावास या 20000 रु० तक का जुर्माना है ।

घरेलू हिंसा की ज़द में निम्नलिखत बातें आती हैं ।

* जीवन, अंग, स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा सलामती को मानसिक या शारीरिक व्यथा, चोट अथवा खतरा पहुंचाना
* महिला अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति को दहेज की कोई मांग को पूरी करने के सिलसिले में मजबूर करने के लिये हानि, चोट या खतरा पहुंचाना
* शारीरिक कदाचार में किसी भी प्रकार की चोट, आघात, आपराधिक धमकी और आपराधिक जबरदस्ती शामिल है
* यौन कदाचार में यौन प्रकृति का व्यवहार शामिल है जैसे बलात संभोग, अश्लील चित्र अथवा ऐसा अन्य साहित्य देखने को मजबूर करना, महिला को अन्य लोगों का मनोरंजन करने के लिए मजबूर करना, यौन प्रकृति का कोई अन्य कृत्य, गाली–गलौज करना, अपमान करना, नीचा दिखाना अथवा अन्यथा किसी की प्रतिष्ठा भंग करना
* मौखिक और भावात्मक कदाचार, जैसे चरित्र या आचरण पर आक्षेप लगाना, दहेज न लाने पर बेइज्जती करना, लड़का न होने पर बेइज्जती करना आदि, स्कूल, कालिज या किसी अन्य शिक्षा संस्था में न जाने को मजबूर करना, कोई नौकरी लेने से रोकना, किसी व्यक्ति को जिसमें महिला की रुचि है लगातार धमकी देकर पीड़ा पहुंचाना, महिला को अपने पसंदीदा व्यक्ति से विवाह करने से रोकना
* आर्थिक कदाचार, जैसे महिला को अपने तथा बच्चों के भरण–पोषण के लिए पैसा न देना, भोजन, कपड़ा, दवा इत्यादि न देना, महिला को अपनी नौकरी छोड़ कर विवाह करने के लिए मजबूर करना

  महिला को जबरन घर से बाहर निकाल देना, उसे घर के किसी भाग में जाने या उसका प्रयोग करने से रोकना, उसे कोई रोजगार चलाने से रोकना या उसमें बाधा उत्पन्न करना, किराए के मकान का किराया न देना, स्त्रीधन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को महिला को सूचित किए बिना तथा उसकी अनुमति के बिना बेचना या गिरवी रखना, उसके वेतन, आमदनी या पारिश्रमिक को जबरन ले लेना आदि, और विभिन्न बिलों जैसे बिजली एवं अन्य बिलों को भुगतान न करना आदि

घरेलू हिंसा की पीड़िता को सहायता के लिए किसके पास जाना चाहिए

घरेलू हिंसा के मामले में निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है

* सुरक्षा अधिकारी (राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित)
* सेवा प्रदायक (राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित)
* पुलिस अधिकारी
* न्यायिक मजिस्ट्रेट
* कोई भी हितकारी स्थानीय गैर सरकारी संगठन जोकि पीड़ित की ओर से किसी भी उपरोक्त अधिकारी से सम्पर्क करेगा

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी | हमारी वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4–दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002 द्वारा प्रकाशित सम्पादक : गौरी सेन। प्रोलिफिक इनकॉरपोरेटेड, ए–507ए, शास्त्री नगर, दिल्ली–110052 द्वारा मुद्रित।